

न्यायालय अति.जिला कलेक्टर, टोंक
(शिवचरण मीना, आर०ए०एस० द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या:-
प्रविष्टि दिनांक:-

16 / 2019

15.05.2019

1-गिर्राज शर्मा पुत्र श्री भंवरलाल शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी जयसिंहपुरा, तहसील
मालपुरा जिला टोंक
बनाम अपीलान्ट

- 1-तहसीलदार मालपुरा जिला टोंक
- 2-सार्वजनिक निर्माण विभाग, जरिये सहायक अभियंता, उपखण्ड मालपुरा जिला टोंक
- 3-प्रभात पुत्र श्री बिरमा जाति रैगर, निवासी ग्राम डिग्गी, तहसील मालपुरा
जिला टोंक

..... प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 विरुद्ध आदेश दिनांक 01.03.2016
तहसीलदार मालपुरा प्रकरण संख्या 287 / 2016

- उपस्थित: (1)श्री मिर्जा खलीकउल्ला बेग व श्री शराफत अली खान अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री सैयद मजहर आलम एड., राजकीय अभिभाषक
(3) श्री जुगनू शर्मा, अभिभाषक प्रत्यर्थी सं. 2
(4)श्री विक्रम जैन अभिभाषक प्रत्यर्थी सं. 3

निर्णय

दिनांक 06.07.2023

संक्षेप में अपील का सार इस प्रकार है कि अप्रार्थी सं. 3 प्रभात द्वारा एक आवेदन तहसीलदार मालपुरा के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया कि खसरा नम्बर 496/5 का वह रिकॉर्डेड खातेदार है तथा खसरा नम्बर 496/5 रकबा 0.06 बीघा में से 0.03 बीघा (379.39 वर्गमीटर) कृषि भूमि को गैर कृषि भूमि कार्य में रूपान्तरण किये जाने बाबत प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मालपुरा ने राजस्थान राजस्व नियम 2007 की अक्षरशः पालना किये बिना अप्रार्थी सं. 3 द्वारा प्रस्तुत आवेदन को स्वीकार करते हुए कृषि भूमि को गैर कृषि कार्य हेतु रूपान्तरण का आदेश दिनांक 01.03.2016 को पारित किया है, जिसे नियम विरुद्ध बताते हुए यह अपील प्रस्तुत की है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी रेस्पोंडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय से भूमि रूपान्तरण से संबंधित पत्रावली तलब की गई प्रार्थना



शिवचरण मीना कलेक्टर
टोंक

पत्र अन्तर्गत धारा-5 अवधि अधिनियम स्वीकार कर अपील में अभिभाषक उभयपक्ष की अन्तिम सुनी गई।

अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अप्रार्थी सं. 3 द्वारा आवेदन के साथ प्रस्तुत नक्शे एवं राजस्व रिकॉर्ड के नक्शे में अन्तर होने के बावजूद भी न्यायालय द्वारा रूपान्तरण के लिए प्रस्तावित भूमि का अवलोकन नहीं किया, ना ही मौका रिपोर्ट ली गई। ना ही पत्रावली में मौका रिपोर्ट शामिल की गई। वास्तविक नक्शा व मौका रिपोर्ट प्रस्तुत किए बिना ही अधीनस्थ न्यायालय ने नियमों को नजरअंदाज करते हुए उक्त रूपान्तरण का आदेश पारित किया है जबकि यह भूमि जयपुर मालपुरा हाइवे रोड पर ग्राम जयसिंहपुरा के रास्ते के पास रोड के समीप 165 X 685 फीट पर एक सार्वजनिक प्याउ, धर्मशाला, यात्री प्रतीक्षालय, हैण्डपम्प, कुआ करीब 40 वर्ष से अधिक समय से बने हुए है, शेष भूमि खाली है। मालपुरा जयपुर रोड के मध्य डिग्गी कल्याण जी का मन्दिर एवं जयसिंहपुरा में हनुतिया बालाजी का एक मन्दिर स्थित है। धार्मिक स्थल होने पर उक्त दोनों धार्मिक स्थलों पर 12 महीने दर्शनार्थी आते है। पैदल यात्रियों की सुविधा के लिए प्रतीक्षालय, हैण्डपम्प व प्याउ का निर्माण राज्य सरकार व आम जनता द्वारा करवाया गया है जिनका उपयोग आम जनता द्वारा किया जाता है। उक्त सम्पूर्ण स्थल व भूमि धर्मावलम्बियों व यात्रियों के रुकने, विश्राम करने, भोजन व्यवस्था, रात्रि जागरण, सत्संग भण्डारे में कई वर्षों से काम आती रही है, यहीं पर टपरिया व झोपड़िया आदि लगाकर यात्री निवास भी करते हैं, बड़े-बड़े सत्संग व जागरण के कार्यक्रम पैदल यात्राओं के दौरान किये जाते है एवं खेती के पानी को आस-पास के गांव के सभी जानवर पानी पीते हैं, इन कुआ, खेती, प्याऊ, प्रतीक्षालय व धर्मशाला की मरम्मत समय-समय पर अपीलार्थी व आम जनता के द्वारा की जाती रही है। फिर भी प्रत्यर्थी संख्या-3 ने प्रत्यर्थी संख्या-2 से मिलीभगत करते हुये माननीय अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 19.02.2016 को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जो कि सामान्य अनुक्रम में बिना किसी नक्शे व नाप के प्रस्तुत की गयी है, जबकि प्याऊ, हैण्डपम्प, धर्मशाला व प्रतीक्षालय रोड से 40 फीट के अन्दर बने हुये हैं, लेकिन ऐसी कोई रिपोर्ट प्रत्यर्थी संख्या-2 द्वारा जानबूझकर प्रत्यर्थी संख्या-3 को लाभ पहुंचाने के लिये नहीं दी गयी, जबकि माननीय अधिनस्थ न्यायालय द्वारा स्वयं अपने स्तर पर ना तो मौका देखा गया, ना ही मौका रिपोर्ट तैयार की गयी, ना ही सम्बंधित पत्रावली में उपरोक्त दस्तावेज है। माननीय अधिनस्थ न्यायालय ने राजस्व नियमों के आज्ञापक प्रावधानों को नजरअंदाज करते हुये आदेश दिनांक 01.03.2016 पारित किया, जो कि कानून के खिलाफ होने के कारण निरस्तनीय है। अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील के समर्थन में सत्यप्रतिलिपि तहसीलदार मालपुरा दिनांक 01.03.2016, आर्डर शीट दिनांक 26.02.2016, आवेदन पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 06.10.2015, रिपोर्ट दिनांक 04.11.2015, मौका पर्चा दि. 23.11.2015, चालान दिनांक 01.03.2016, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनांक 19.02.2016, तहसीलदार आदेश दिनांक 01.12.2015, नक्शा ट्रेस की सत्य प्रतिलिपि पेश की।

अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस यह भी कथन किया कि प्रत्यर्थी संख्या-3 द्वारा जो प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया है, वह मात्र 0.03 बिस्वा के रूपान्तरण के सम्बंध में प्रस्तुत किया गया है, जबकि ग्राम पंचायत धौली ने एन.ओ.सी. में 0.06 बिस्वा का भूमि रूपान्तरण किये जाने पर अनापत्ति जारी की गयी है, जो इस बात को दर्शित करता है, कि प्रत्यर्थी संख्या-3 ने ग्राम पंचायत को भी अपने प्रभाव में ले रखा है और बिना किसी नक्शे मौके के व नाप के रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी, जिस पर माननीय अधिनस्थ न्यायालय द्वारा ध्यानपूर्वक अवलोकन किये बिना ही आदेश दिनांक 01.03.2016 पारित किया है। इसी प्रकार श्री प्रभात को सहायक अभियन्ता,



अतिरिक्त जिला कलेक्टर
मालपुरा

सार्वजनिक निर्माण विभाग उपखण्ड मालपुरा ने उनके पत्र क्रमांक 496 दिनांक 19.02.2016 से पत्रा नम्बर 496/5 में से 0.06 बीघा भूमि के सड़क के मध्य से 40 मीटर छोड़कर रूपान्तरण किए जाने की अभिशंका की है।

प्रत्यर्थी संख्या-3 द्वारा जिस भूमि का रूपान्तरण चाहा है, वह भूमि सड़क के मध्य से 40 मीटर के अन्दर है, जिसका कानूनन रूपान्तरण नहीं हो सकता है, लेकिन यह स्वीकृत तथ्य है कि माननीय अधिनस्थ न्यायालय ने सड़क के मध्य से कोई नाप नहीं करवायी, ना सड़क से दूरी के संबंध में कोई स्पष्ट कथन पत्रावली पर है। मात्र सड़क के मध्य से 50 फीट की दूरी अंकित की है जो सही नहीं है। रूपान्तरण भूमि सड़क के मध्य से 40 मीटर से भीतर होने से कानूनन रूपान्तरण नहीं किया जा सकता लेकिन माननीय अधिनस्थ न्यायालय उक्त आदेश दिनांक 01.03.2016 पारित किया है। प्रत्यर्थी संख्या-3 द्वारा माननीय अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष जो रूपान्तरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया, उक्त आवेदन पर किसी भी सम्बंधित अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं हैं, ऐसी स्थिति में रूपान्तरण के लिये किया गया आवेदन विधिक रूप से कोई महत्व नहीं रखता है, लेकिन माननीय अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त महत्वपूर्ण तथ्य को नजरअंदाज करते हुये आदेश दिनांक 01.03.2016 पारित किया, जो कि कानून के खिलाफ होने के कारण निरस्तनीय है। अपीलार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 अवधि अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त आदेश की जानकारी दिनांक 25.04.2019 को हुई, इस प्रकार जानकारी से उक्त अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत की जा रही है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलधीन आदेश दिनांक 01.03.2016 न्यायालय तहसीलदार मालपुरा निरस्त फरमाया जावे।

पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में निवेदन किया कि उक्त भूमि का जो रूपान्तरण किया गया है वह नियमानुसार है। अतः अपील अपीलान्टस निरस्त फरमायी जावे। प्रत्यर्थी सं. 2 की ओर से पैरवी हेतु कोई भी उपस्थित नहीं हुआ।

अभिभाषक रेस्पोंडेण्ट सं. 3 ने दौराने बहस कथन किया कि श्री प्रभात खसरा नम्बर 496/5 का रिकॉर्डेड खातेदार है तथा खसरा नम्बर 496/5 रकबा 0.06 बीघा में से 0.03 बीघा (379.39 वर्गमीटर) कृषि भूमि को गैर कृषि भूमि कार्य में जो रूपान्तरण किया गया है, वह नियमानुसार किया गया है। प्रार्थना पत्र दफा 5 व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 340 सी आर पी सी प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में झूठे तथ्य झूठा शपथ पत्र पेश करते हुए अंकित किये हैं। वास्तविकता में अपीलांट प्रार्थी द्वारा एक दावा न्यायालय सिविल न्यायाधीश मालपुरा के समक्ष उनवानी आम जनता बनाम सुखलाल आदि को पेश किया था, जिसका जवाब प्रार्थना पत्र रेस्पोंडेण्टस द्वारा पेश किया गया था। उक्त जवाब प्रार्थना पत्र में यह अंकित किया था कि दिनांक 01.03.2016 को उक्त भूमि को रूपान्तरित करवाया जा चुका है, जिसकी जवाब की प्रति भी अपीलांट व उसके अधिवक्ता द्वारा प्राप्त की गई थी। उसके बाद उक्त प्रकरण के संबंध में रेस्पोंडेण्ट उत्तरदाता द्वारा एक अपील भी पेश की थी जिसमें भी उक्त भूमि को रूपान्तरित किया जा चुका है, के तथ्य उल्लेखित किये गये थे। जिसकी जानकारी भी अपीलांट गिराज को थी। उसके उपरांत भी अपीलांट ने झूठे तथ्य व झूठा



अतिरिक्त जिला अधिकारी
मालपुर

प्रार्थना पत्र पेश किया है और माननीय न्यायालय को गुमराह करने का प्रयास किया है। अपीलान्त द्वारा जो झूठा शपथ पत्र पेश किया गया है, वह धारा 191, 193 भा.द.स. के तहत अपराध की परिभाषा में आता है, जिसके लिये उपरोक्त अपीलान्त के विरुद्ध धारा 340 सी आर पी सी के तहत कार्यवाही किया जाना उचित एवं न्याय संगत है। अतः अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम मय हर्जा एवं खर्चा खारिज किये जाने के आदेश प्रदान करें।

प्रत्यार्थी सं. 3 के प्रार्थना पत्र के जवाबुल जवाब में अभिभाषक अपीलान्त ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थना पत्र विधि विरुद्ध पेश किया गया है। अपीलार्थी को जरेबार कर दबाव बनाने की गर्ज से पेश किया गया है। अपीलार्थी द्वारा कोई फोर्ज डॉक्यूमेंट बनाकर प्रस्तुत नहीं किया गया है। अपील तथा अपील के साथ प्रार्थना पत्र मर्यादा अधिनियम सही व वास्तविक तथ्यों के आधार प्रस्तुत किया गया है। पूर्व में सिविल न्यायालय के निर्णय का कोई ज्ञान अपीलार्थी अपीलान्त को नहीं था क्योंकि उक्त दीवानी प्रकरण था जो समस्त जनता की ओर से किया गया था तथ जवाब दावे में जो तथ्य अंकित किये गये थे उसकी समस्त जानकारी अपीलार्थी अपीलान्त के अधिवक्ता को ही थी वो ही अपीलार्थी व समस्त जनता की ओर से न्यायालय के समक्ष हाजिर होते रहे तथा जवाब प्रार्थना पत्र आदि प्राप्त करते रहे जिनकी अपीलार्थी अपीलान्त को पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी। अपीलान्त अपीलार्थी को अपर जिला न्यायाधीश मालपुरा के निर्णय दिनांक 25.04.2019 से समस्त तथ्यों की जानकारी प्राप्त हुई है। प्रार्थीगण द्वारा धारा 191,193 सीआरपीसी का धारा 340 को अवलम्ब लेकर प्रस्तुत किया गया है, उक्त धाराओं के प्रावधान उक्त प्रकरण में लागू नहीं होते हैं। अपीलार्थी अपीलान्त द्वारा फोर्ज डॉक्यूमेंट न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया गया है। प्रार्थीगण रेस्पोजेण्ट द्वारा प्रार्थना पत्र महज अपील में देरी करने व अपीलार्थी अपीलान्त पर दबाव बनाने के आशय से प्रस्तुत किया गया है जो मय हर्जे खर्चे खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र दफा 5 के समर्थन में अपीलान्त द्वारा दृष्टान्त HIGH COURT HONBLE JUSTICE SHRI R.R. YADAV. Urban Improvement Trust v/s Poonam Chand S.B. Civil Secone Appeal no. 40 of 1996 decided on 3rd February 1997 प्रस्तुत की है।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलान्त एवं अभिभाषक रेस्पोजेण्ट की बहस को सुना एवं बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की अपीलार्थी पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली संख्या 287/2016 की आदेशिका पर शाखा सहायक द्वारा दिनांक 26.02.2016 को टिप्पणी की गई है, परन्तु तहसीलदार द्वारा दिनांक 24.02.2016 को आदेशिका पर नियमानुसार जांच कर राशि राजकोष में जमा करवाने हेतु तहसील राजस्व लेखाकार को निर्देशित किया गया है जो संदेहास्पद प्रतीत होता है। तहसीलदार मालपुरा द्वारा पत्र क्रमांक 353 दिनांक 08.01.2021 को प्रेषित मौका रिपोर्ट में अंकित किया है कि खसरा नम्बर 496/5 रकबा 0.06 बीघा में से रकबा 0.03 बीघा भूमि आवासीय रूपान्तरित हुई है, उक्त भूमि जयपुर-मालपुरा रोड पर स्थित है। रूपान्तरण प्रक्रिया के दौरान रोड के मध्य से 40 मीटर भूमि को छोड़ते हुये सही गणना की जाती है तो रूपान्तरण योग्य रकबा 0.03 बीघा



नियमित विधि पट्टिका
द्वारा

के बजाय 0.01 बीघा भूमि ही शेष रहती है। राजस्व नक्शा में मार्गाधिकार हेतु राजहक में मर्पण की गई भूमि सड़क के मध्य से 40 मीटर की दूरी पर स्थित नहीं होकर 26 मीटर की दूरी पर ही गलत दर्शायी गई है। सरपंच ग्राम पंचायत धौली पं. स. मालपुरा द्वारा इस संबंध में जो अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया है, वह दिनांक 06.10.2015 का है जिसके अन्तर्गत सम्पूर्ण 0.06 बीघा भूमि के रूपान्तरण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया है जबकि इस भूमि में से आवेदक द्वारा मात्र रकबा 0.03 बीघा का ही रूपान्तरण चाहा गया था। प्रत्यार्थी सं. 3 द्वारा तहसीलदार मालपुरा के समक्ष किस दिनांक को प्रार्थना पत्र पेश किया और तहसीलदार ने उक्त प्रार्थना पत्र किस दिनांक को मार्क किया का उल्लेख प्रार्थना में अंकित नहीं है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः अपील अपीलान्टस आंशिक स्वीकार की जाकर तहसीलदार मालपुरा द्वारा आराजी खसरा नम्बर 496/5 रकबा 0.06 बीघा में से 0.03 बीघा भूमि वाके ग्राम जयसिंहपुरा तहसील मालपुरा जिला टोंक का रूपान्तरण आदेश दिनांक 01.03.2016 निरस्त किया जाकर तहसीलदार मालपुरा को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए राजस्व रिकॉर्ड तथा मौके की जांच कर नियमानुसार कार्यवाही करे। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 06.07.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(शिवचरण मोना)
पब्लिक प्रिण्टर
आति.जिला कलेक्टर, टोंक